

[2021] 1 एस.सी.आर. 681

बेघर फाउंडेशन अपने सचिव और दूसरे के माध्यम से

बनाम

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य

समीक्षा याचिका (सिविल) डायरी संख्या 45777/2018

में

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 494/2012)

11 जनवरी 2021

**[ए. एम. खानविलकर, डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण, एस. अब्दुल
नज़ीर और बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति]**

भारत का संविधान - अनुच्छेद 110 - आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 - याचिकाओं के एक समूह ने पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति) बनाम भारत सरकार (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा की मांग की थी 8 एससीआर 1: (2019) 1 एस.सी.सी. 1, यह बहुमत की राय में तर्क देता है कि क्या आधार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' था- इससे पहले, पुट्टास्वामी (आधार - 5 न्यायमूर्ति) बनाम भारत संघ में बहुमत ने यह अभिनिर्धारित किया कि आधार अधिनियम को अनुच्छेद 110 (1) के अधीन 'धन विधेयक' के रूप में सही रूप से प्रमाणित किया गया था- अभिनिर्धारित: (बहुमत के अनुसार) पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति) बनाम भारत संघ, निर्णय और आदेश दिनांक 26.09.2018 की समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है- यदि इन समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है और रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड [2019] 16 एससीआर 1: (2020) 6 एससीसी 1 में बड़ी बेंच का संदर्भ पुट्टास्वामी (आधार - 5 न्यायमूर्ति) में बहुमत की राय के विश्लेषण से असहमत होता है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे-सिर्फ इसलिए नहीं न्यायिक अनुशासन, लेकिन न्याय के उद्देश्य के लिए भी - इस

प्रकार, समीक्षा याचिकाओं के वर्तमान बैच को तब तक लंबित रखा जाना चाहिए जब तक कि रोजर मैथ्यू में संदर्भित प्रश्नों का फैसला बड़ी पीठ नहीं कर लेती।

भारत का संविधान - अनुच्छेद 110 - आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 – अभिनिर्धारित : डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ के अनुसार पुद्दास्वामी की शुद्धता (आधार-5 न्यायमूर्ति) लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक को 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित करने से संबंधित और उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर रोजर मैथ्यू में एक समन्वित संविधान पीठ द्वारा संदेह किया गया था - एक अन्य संविधान पीठ द्वारा निर्णय की शुद्धता पर व्यक्त किए गए संदेह के साथ, जो इन समीक्षा याचिकाओं का विषय है, इस स्तर पर यह मानना एक संवैधानिक त्रुटि है कि निर्णय की समीक्षा करने के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है।

पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित : [खानविलकर, अशोक भूषण, एस अब्दुल नज़ीर और बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के अनुसार]

1. इस न्यायालय की राय में, 26.09.2018 के निर्णय और आदेश की समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। यह न्यायालय जल्दबाजी में यह जोड़ता है कि कानून में परिवर्तन या एक समन्वय या बड़ी पीठ के बाद के निर्णय/निर्णय को स्वयं समीक्षा का आधार नहीं माना जा सकता है। [अनुच्छेद 4]

धनंजय वाई चंद्रचूड़ के अनुसार (असहमति)

2. पुद्दास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति) में बहुमत की राय का विश्लेषण दूसरे प्रश्न के संबंध में, अर्थात्, क्या आधार अधिनियम अनुच्छेद 110 के तहत एक 'धन विधेयक' था, रोजर मैथ्यू में एक समन्वय पीठ द्वारा संदेह किया गया है, जब पहला प्रश्न एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। बड़ी पीठ का गठन नहीं किया गया है, और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस स्तर पर समीक्षा याचिकाओं के वर्तमान समूह को खारिज करना - बहुमत द्वारा अपनाई गई कार्रवाई - वर्तमान मामले में मुद्दों पर अंतिमता की मुहर लगाएगा, न्यायालय को हमारे सामने उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर बड़ी पीठ के विचार का लाभ दिए बिना। पुद्दास्वामी की शुद्धता (आधार-5 न्यायमूर्ति) लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक को 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित करने से संबंधित और उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर रोजर मैथ्यू की एक समन्वित संविधान पीठ द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है। एक अन्य संविधान पीठ द्वारा निर्णय की

शुद्धता पर व्यक्त किए गए संदेह के साथ, जो इन समीक्षा याचिकाओं का विषय है, इस स्तर पर यह मानना एक संवैधानिक त्रुटि है कि निर्णय की समीक्षा करने के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है। बड़ी पीठ के फैसले का लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकरण से संबंधित और उससे उत्पन्न होने वाले संवैधानिक मुद्दों पर, पुट्टस्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति) द्वारा व्यक्त किए गए कारणों की वैधता पर निर्विवाद प्रभाव पड़ेगा। आधार अधिनियम के अनुच्छेद 110 (1) के तहत 'धन विधेयक' होने के संबंध में वृहद पीठ के निर्णय को फिर से संदर्भित करने में विफलता इसे केवल एक अकादमिक अभ्यास बना देगी। [अनुच्छेद 11]

3. ऐसी स्थिति के साथ अंतर करना महत्वपूर्ण है जहां एक निर्णय अंतिमता प्राप्त करता है और इसके द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण को बाद में एक बड़ी पीठ द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। वर्तमान मामले में, उपरोक्त सभी समीक्षा याचिकाएं रोजर मैथ्यू मामले में 13 नवंबर 2019 को दिए गए फैसले से पहले दायर की गई थीं। समीक्षा याचिकाएं उस तारीख को लंबित थीं जब रोजर मैथ्यू की एक बड़ी पीठ को एक संदर्भ दिया गया था। इन पुनर्विचार याचिकाओं को पहले 25 अगस्त 2020 को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और इनका निपटारा नहीं किया गया था। इसलिए, ये पुनर्विचार याचिकाएं अब तक लंबित हैं, और इस न्यायालय के लिए बड़ी पीठ के निर्णय तक उन्हें खारिज नहीं करने का एक मजबूत कारण है। [अनुच्छेद 12]

4. यदि इन पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया जाना है और रोजर मैथ्यू में बड़ी पीठ के संदर्भ को पुट्टस्वामी (आधार-5जे) में बहुमत की राय के विश्लेषण से असहमत होना था।) इसके गंभीर परिणाम होंगे - न केवल न्यायिक अनुशासन के लिए, बल्कि न्याय के उद्देश्यों के लिए भी। इस प्रकार, समीक्षा याचिकाओं के वर्तमान बैच को तब तक लंबित रखा जाना चाहिए जब तक कि रोजर मैथ्यू में संदर्भित प्रश्नों का फैसला बड़ी पीठ नहीं कर लेती। [अनुच्छेद 14]

पुट्टस्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति) बनाम भारत संघ (2019) 1 एससीसी 1: [2018] 8

एससीआर 1; रोजर मैथ्यू बनाम दक्षिण भारतीय बैंक लिमिटेड (2020) 6 एससीसी 1:

[2019] 16 एससीआर 1 – संदर्भित किया।

निर्णय विधि संदर्भ

[2018] 8 एससीआर 1	करने के लिए भेजा।	अनुच्छेद 2
[2019] 16 एससीआर 1	करने के लिए भेजा।	अनुच्छेद 6

अंतर्निहित क्षेत्राधिकार: पुनरीक्षण याचिका (सिविल) डायरी संख्या 45777/2018 ।

रिट याचिका (सिविल) संख्या 494/2012 में इस न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 26.09.2018 से।

रिट याचिका (सिविल) संख्या 231/2016 में पुनरीक्षण याचिका (सिविल) संख्या 3948/2018, रिट याचिका (सिविल) संख्या 1014/2017 में पुनरीक्षण याचिका (सिविल) संख्या 22/2019 , रिट याचिका (सिविल) संख्या 1058/2017 में पुनरीक्षण याचिका (सिविल) संख्या 31/2019, डायरी संख्या 48326/2018, रिट याचिका (सिविल) संख्या 342/2017 में पुनरीक्षण याचिका (सिविल) संख्या 377/2019 और रिट याचिका (सिविल) संख्या 829/2013 में पुनरीक्षण याचिका (सिविल) संख्या 924/2019 के साथ।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश और निर्णय दिया गया:

आदेश देना

1. समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की दी जाती है।
2. देरी को माफ कर दिया गया।
3. खुली न्यायालय/समीक्षा याचिकाओं की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रार्थना खारिज कर दी जाती है।
4. वर्तमान समीक्षा याचिकाएं अंतिम निर्णय और दिनांक 26.09.2018 के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं। हमने पुनर्विचार याचिकाओं के साथ-साथ उनके समर्थन में आधारों का अध्ययन किया है। हमारी राय में, 26.09.2018 के निर्णय और आदेश की समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि कानून में परिवर्तन या एक समन्वय या बड़ी पीठ के बाद के निर्णय/निर्णय को अपने आप में समीक्षा का आधार नहीं माना जा सकता है। तदनुसार पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।
5. नतीजतन, समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 22/2019 में अतिरिक्त आधार का आग्रह करने के लिए अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है।

निर्णय

डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति

1. मुझे पुनर्विचार याचिकाओं के वर्तमान समूह को खारिज करने में बहुमत के फैसले से सहमत होने में असमर्थता पर खेद है।

2. याचिकाओं के इस समूह ने **पुट्टास्वामी (आधार-5जे) बनाम भारत सरकार**¹ ("पुट्टास्वामी (आधार-5जे)") मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा की मांग की है। निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों में, न्यायालय को दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना था: (i) क्या संविधान के अनुच्छेद 110 (3) के तहत लोकसभा² अध्यक्ष का अनुच्छेद 110 (1) के तहत एक विधेयक को 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित करने का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है, या न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है; और (ii) यदि निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, तो क्या आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("**आधार अधिनियम**") को संविधान के अनुच्छेद 110 (1) के तहत 'धन विधेयक' के रूप में सही ढंग से प्रमाणित किया गया था।

3. पहले प्रश्न पर, बहुमत (न्यायाधीश डॉ ए.के. सीकरी के माध्यम से बोलते हुए।) ने कहा कि "इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए कुछ परिस्थितियों में न्यायिक समीक्षा (कि क्या कोई विधेयक 'धन विधेयक' है) स्वीकार्य होगी"³. दूसरे प्रश्न का उत्तर देते समय, बहुमत ने माना कि आधार अधिनियम की धारा 7 में 'धन विधेयक' के तत्व थे, और अन्य प्रावधान आधार अधिनियम के 'मूल' के लिए आकस्मिक थे। इसलिए, बहुमत ने माना कि आधार अधिनियम को अनुच्छेद 110(1) के तहत 'धन विधेयक' के रूप में सही ढंग से प्रमाणित किया गया था।

4. अपनी सहमति वाली राय में, न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि अनुच्छेद 110 (1) के तहत लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है जब यह संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है। प्रक्रिया की अनियमितता और मौलिक अवैधता के बीच अंतर बताते हुए, न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने अभिनिर्धारित किया:

"901. "प्रक्रिया की अनियमितता" और "मूल अवैधता" विषय के बीच स्पष्ट अंतर है। जब कोई विधेयक अनुच्छेद 110 (1) के तहत आवश्यक संवैधानिक शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उक्त

आवश्यकता को केवल अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन पर वाष्पित नहीं कहा जा सकता है। इस दलील को स्वीकार करते हुए कि प्रमाणन संवैधानिक शर्त को पूरा नहीं करने के आधार पर चुनौती को कम करता है, न्यायालय संवैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज करने और दरकिनार करने की अनुमति देगा। इस प्रकार, हमारा विचार है कि विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है और यदि निर्णय में कोई अवैधता हुई है और निर्णय स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, तो निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

हालांकि, दूसरे सवाल के जवाब में, न्यायमूर्ति भूषण की सहमति वाली राय बहुमत से सहमत थी और अभिनिर्धारित किया कि आधार अधिनियम को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 110(1) के तहत 'धन विधेयक' के रूप में सही ढंग से प्रमाणित किया गया था।

5. मेरे द्वारा लिखित राय ने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि:

“1080. लोकसभा अध्यक्ष पर यह प्रमाणित करने की बाध्यता रखी गई है कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है, अनुच्छेद 122 के तहत विचार की गई "प्रक्रिया" का मात्र मामला नहीं है। यह एक संवैधानिक आवश्यकता है, जिसे अनुच्छेद 110 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूरा किया जाना है। यदि यह अनुच्छेद 110 के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक मानदंडों के विपरीत है, तो अनुच्छेद 122 अध्यक्ष की कार्रवाई को नहीं बचाएगा। न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष की कार्रवाई की वैधता पर निर्णय ले सकता है यदि यह संवैधानिक दुर्बलता का कारण बनता है। अनुच्छेद 122 में न्यायिक समीक्षा से छूट की परिकल्पना नहीं की गई है, यदि कोई संवैधानिक दुर्बलता रही है। संविधान अनुच्छेद 122 के तहत न्यायिक समीक्षा के पूर्ण निषेध का समर्थन नहीं करता है। यह केवल "प्रक्रिया की अनियमितता" तक सीमित है।

हालांकि, दूसरे सवाल पर, मेरे फैसले ने बहुमत और न्यायमूर्ति अशोक भूषण से असहमति जताई, और अभिनिर्धारित किया कि लोकसभा अध्यक्ष का आधार अधिनियम को अनुच्छेद 110 (1) के तहत 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित करने का निर्णय असंवैधानिक था।

6. यह मुद्दा कि क्या अनुच्छेद 110 (3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर न्यायिक समीक्षा का प्रयोग किया जा सकता है, बाद में **रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड⁴** ("रोजर मैथ्यू") मामले में एक अन्य संविधान पीठ के समक्ष उठा। यह इस संदर्भ में था कि क्या वित्त अधिनियम, 2017 के कुछ प्रावधानों (अधिकरणों में नियुक्तियों और सदस्यों की सेवा की शर्तों से संबंधित) को अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित किया जा सकता था।

7. बहुमत द्वारा दिए गए फैसले (मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के माध्यम से बोलते हुए) ने **पुट्टास्वामी (आधार-5जे)** में फैसले का हवाला देते हुए इस सवाल का जवाब दिया। निम्नलिखित शब्दों में:

"102. इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के.एस. पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति) बनाम भारत संघ [के.एस. पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति) बनाम भारत संघ, (2019) 1 एससीसी 1], को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत दिए गए "धन विधेयक" के प्रमाणीकरण का एक समान प्रश्न सौंपा गया था। द्वासदनीय विधायी व्यवस्था में राज्य सभा की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान देने के बाद बहुमत की राय में कहा गया कि अनुच्छेद 110 एक असाधारण प्रावधान है, इसलिए इसकी व्याख्या संकीर्ण रूप से की जानी चाहिए। हालांकि बहुमत की राय ने मोहम्मद सिद्दीकी [मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 11 एस सी सी 415] और योगेन्द्र कुमार जयसवाल [योगेन्द्र कुमार जयसवाल बनाम बिहार राज्य, (2016) 3 एस सी सी 183: (2016) 2 एससीसी (आपराधिक) 1] मामले में निर्णयों की शुद्धता की जांच नहीं की या अनुच्छेद 110(3) के तहत अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकरण की न्यायिक समीक्षा करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र या शक्ति के दायरे पर निर्णायक रूप से निर्णय नहीं दिया, फिर भी, यह स्वतंत्र रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विवादित अधिनियम अनुच्छेद 110(1) के चारों कोनों के अंतर्गत आता है और इसलिए यह एक "धन विधेयक" है। हालांकि, प्रस्तुत अल्पसंख्यक दृष्टिकोण ने मोहम्मद सिद्दीकी [मो. सईद सिद्दीकी बनाम यूपी राज्य, (2014) 11 एससीसी 415] और योगेन्द्र कुमार [योगेन्द्र कुमार जयसवाल बनाम राज्य बिहार, (2016) 3 एससीसी 183: (2016) 2 एससीसी (आपराधिक) 1] जयसवाल दोनों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।

103. पुट्टास्वामी में बहुमत की राय [के.एस.] पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति) बनाम भारत संघ (2019) 1 एस. सी. सी. 1] ने यह परीक्षण करके कि क्या आक्षेपित अधिनियम वास्तव में अनुच्छेद 110 के तहत एक "धन विधेयक" था या नहीं, यह स्पष्ट रूप से इस बात पर विचार किए बिना कि अध्यक्ष का प्रमाणन न्यायिक समीक्षा के अधीन है या नहीं, अनुच्छेद 110 (3). के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बरकरार रखा है। इसमें आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "धन विधेयक" शब्द का अर्थ प्रतिबंधात्मक अर्थों में नहीं लगाया जा सकता है और इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के विवेक को महत्व दिया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि यह संविधान की योजना का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। हम पुट्टास्वामी [के.एस.] के दृष्टिकोण का सम्मानपूर्वक समर्थन करते हैं। हम पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति) बनाम भारत संघ, (2019) 1 एससीसी 1] और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोहम्मद। सिद्दीकी [मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 11 एस सी सी 415] और योगेंद्र कुमार जयस्वाल [योगेंद्र कुमार जयस्वाल बनाम बिहार राज्य, (2016) 3 एस सी सी 183: (2016) 2 एस सी सी (सीआरआई) 1] जहां तक उन्होंने अनुच्छेद 110 (3) के तहत अध्यक्ष के निर्णयों को न्यायिक समीक्षा से परे रखा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, बहुमत की राय ने नोट किया कि पुट्टास्वामी में उपरोक्त निर्णय में पहले प्रश्न का पर्याप्त उत्तर नहीं दिया गया था (आधार- 5 न्यायमूर्ति) इसने दूसरे प्रश्न के निर्धारण पर अपनी शंकाओं को भी नोट किया:

“116. मामले की व्यापक जांच करने पर, हम देखते हैं कि के.एस. में बहुमत है। पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति) [के.एस.] पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति) बनाम भारत संघ, (2019) 1 एससीसी 1] ने अनुच्छेद 110 (1) के दायरे और व्याख्या के सिद्धांतों या ऐसी प्रक्रिया के नतीजों को पहले चित्रित किए बिना विवादित अधिनियम की प्रकृति को स्पष्ट किया। यह हमारे लिए स्पष्ट है कि के.एस. में बहुमत डिक्टम पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति) [के.एस.] पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति) बनाम भारत संघ, (2019) 1 एससीसी 1] ने अनुच्छेद 110 (1) में "केवल" शब्द के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं की और किसी निष्कर्ष के नतीजों पर बहुत कम मार्गदर्शन प्रदान करता है जब "धन विधेयक" के रूप में पारित अधिनियम के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 110 (1) (क) से (छ) के अनुरूप नहीं हैं। आधार अधिनियम के प्रावधानों की इसकी व्याख्या तर्कसंगत रूप से

उदार थी और यह तर्क दिया गया है कि उक्त प्रावधानों के अनुच्छेद 110 (1) (क) से (च) के आनुषंगिक होने पर न्यायालय की संतुष्टि विश्वसनीय रूप से तर्कपूर्ण नहीं है, जैसा कि हमारी संवैधानिक योजना के तहत परिकल्पित द्विसदनीय संसदीय प्रणाली के अनुरूप नहीं हो सकता है। एक दृढ़ और अंतिम राय व्यक्त किए बिना, यह देखा जाना चाहिए कि के.एस. में विश्लेषण। पुट्टास्वामी (आधार-5न्यायमूर्ति) [के.एस.] पुट्टास्वामी (आधार-5न्यायमूर्ति) बनाम भारत संघ, (2019) 1 एस.सी.सी. 1] वर्तमान मामले में इसके आवेदन को कठिन बनाता है और समन्वित पीठों के निर्णयों के बीच संभावित संघर्ष को बढ़ाता है।

117. न्यायिक समीक्षा और व्याख्यात्मक सिद्धांतों (या इसकी कमी) के दायरे में की गई विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए, जैसा कि के.एस. में बहुमत द्वारा जोड़ा गया है। पुट्टास्वामी (आधार-5न्यायमूर्ति) [के.एस.] पुट्टास्वामी (आधार-5न्यायमूर्ति) बनाम भारत संघ, (2019) 1 एससीसी 1] और आधार अधिनियम, 2016 के इसके विश्लेषण के पर्याप्त पूर्ववर्ती प्रभाव के कारण, इसकी शुद्धता का निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है। के.एस. में समान शक्ति की बेंच होना। पुट्टास्वामी (आधार-5न्यायमूर्ति.) [के.एस. पुट्टास्वामी (आधार-5न्यायमूर्ति.) बनाम भारत संघ, (2019) 1 एससीसी 1], हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि मामलों के इस बैच को प्रशासनिक पक्ष से माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए रखा जाए। एक बड़ी बेंच।”

परिणामस्वरूप, बहुमत की राय में कहा गया है कि *"संविधान के अनुच्छेद 110 (1) के तहत परिभाषित धन विधेयक के मुद्दे और प्रश्न और वित्त अधिनियम, 2017 के भाग-14 के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रमाणीकरण को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाता है।"*

8. अपनी आंशिक रूप से सहमत और आंशिक रूप से असहमत राय में, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने 'धन विधेयक' के पहले प्रश्न को इस प्रकार एक बड़ी पीठ को भेजने में बहुमत की राय से सहमति व्यक्त की:

“365. मैं मुख्य न्यायाधीश से पूरी तरह सहमत हूं क्योंकि उन्होंने अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 110 (3) के तहत माननीय लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। उनके इस विचार से भी सहमत हैं कि अध्यक्ष के उच्च पद को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित है। यदि दो विचार संभव हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अध्यक्ष का विचार प्रबल होना चाहिए। धन विधेयक के गठन के बारे में

स्पष्टता की कमी को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश से सहमत हूँ कि वित्त अधिनियम, 2017 का भाग XI बर्नाम धन विधेयक है या नहीं, इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजा जा सकता है।

इसी तरह, मेरे द्वारा लिखित एक अन्य आंशिक रूप से सहमत और आंशिक रूप से असहमत राय इस प्रकार थी:

“346. यद्यपि वर्तमान निर्णय (आंशिक रूप से सहमत और आंशिक रूप से असहमत राय का उल्लेख करते हुए) अनुच्छेद 110 (1) में "केवल" शब्द के दायरे और अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (जी) की व्याख्या का विश्लेषण करता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि वित्त अधिनियम, 2017 के भाग XI बर्नाम को धन विधेयक के रूप में वैध रूप से अधिनियमित नहीं किया जा सकता था, मैं उन कारणों से सहमत हूँ जो भारत के विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा धन विधेयक के पहलू को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं और तदनुसार निर्देश देते हैं।

9. नतीजतन, **पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति)** में निर्णय की शुद्धता।) संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' का गठन करने के संबंध में, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन पर न्यायिक समीक्षा की सीमा और आधार अधिनियम के प्रावधानों पर रखी गई व्याख्या को 'धन विधेयक' मानते हुए, ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें एक बड़ी पीठ द्वारा हल किया जाएगा, जिसका गठन किया जाना बाकी है।

10. **पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति)** मामले में फैसले की शुद्धता को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं का वर्तमान बैच।) बहुमत की राय में तर्क का आरोप लगाता है कि क्या आधार अधिनियम अनुच्छेद 110 के तहत एक 'धन विधेयक' था। समीक्षा याचिकाओं का विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है:

- (i) **समीक्षा याचिका (सिविल) डायरी संख्या 45777/2018** - यह याचिका 6 दिसंबर 2018 को दायर की गई थी, और इसका उप-आधार (ई) **पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति)** की समीक्षा के लिए कहता है। जिसमें बहुमत की राय ने आधार

अधिनियम के प्रमाणन को 'धन विधेयक' के रूप में बरकरार रखा, जो इस गलत धारणा पर आधारित है कि आधार अधिनियम की धारा 7 इसका मुख्य प्रावधान है (मैदान XXIII-XXबनामाII) ।

- (ii) **पुनरीक्षण याचिका (सिविल) संख्या 3948/2018** - यह याचिका 23 अक्टूबर 2018 को दायर की गई थी और इसमें **पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति)** की समीक्षा की मांग की गई थी। अनुच्छेद 110 के अर्थ के भीतर 'धन विधेयक' के रूप में आधार अधिनियम के प्रमाणन को बरकरार रखने वाली बहुमत की राय के संबंध में (मैदान IबनामाII) ।
- (iii) **पुनरीक्षण याचिका (सिविल) संख्या 22/2019** - यह याचिका 15 दिसंबर 2018 को दायर की गई थी और इसमें **पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति)** की समीक्षा की मांग की गई थी। आधार अधिनियम के प्रमाणन को 'धन विधेयक' के रूप में बनाए रखने और अधिनियम की संवैधानिकता पर इसके परिणाम के संबंध में बहुमत की राय (मैदान I-बनामा) ।
- (iv) **पुनरीक्षण याचिका (सिविल) संख्या 31/2019** - यह याचिका 21 दिसंबर 2018 को दायर की गई थी और इसमें **पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति)** की समीक्षा की मांग की गई थी। बहुमत की राय के संबंध में यह मानते हुए कि आधार अधिनियम को केवल आधार अधिनियम की धारा 7 पर भरोसा करके लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 'धन विधेयक' के रूप में सही ढंग से प्रमाणित किया गया था (ग्राउंड जीजी-II) ।
- (v) **डायरी संख्या 48326/2018** - यह याचिका 24 दिसंबर 2018 को दायर की गई थी और इसमें **पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति)** की समीक्षा की मांग की गई थी। आधार अधिनियम के प्रमाणन को 'धन विधेयक' के रूप में बरकरार रखने वाली बहुमत की राय के संबंध में, जिसने राज्यसभा के समक्ष चर्चा की संभावना को समाप्त कर दिया (ग्राउंड वी-डब्ल्यू) ।

- (vi) **पुनरीक्षण याचिका (सिविल) संख्या 377/2019** - यह याचिका 10 जनवरी 2019 को दायर की गई थी और इसमें **पुद्दास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति)** की समीक्षा की मांग की गई थी। बहुमत की राय के संबंध में कि आधार अधिनियम को लोकसभा में पेश किए जाने के समय 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित किया जा सकता था (ग्रांड ए)।
- (vii) **पुनरीक्षण याचिका (सिविल) संख्या 924/2019** - यह याचिका 12 जनवरी 2019 को दायर की गई थी और इसमें **पुद्दास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति)** की समीक्षा की मांग की गई थी। अनुच्छेद 110 (1) के संदर्भ में 'धन विधेयक' के रूप में आधार अधिनियम के प्रमाणीकरण को बरकरार रखने वाली बहुमत की राय के संबंध में, भले ही इसमें ऐसे प्रावधान शामिल थे जो संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते थे (ग्रांड ए)।

11. **पुद्दास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति)** में बहुमत की राय का विश्लेषण। दूसरे प्रश्न के संबंध में, i.e., क्या आधार अधिनियम अनुच्छेद 110 के तहत एक 'धन विधेयक' था, रोजर मैथ्यू में एक समन्वय पीठ द्वारा संदेह किया गया है, जब पहला प्रश्न एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। वृहद पीठ का गठन नहीं किया गया है, और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस स्तर पर समीक्षा याचिकाओं के वर्तमान बैच को खारिज करना - बहुमत द्वारा अपनाई गई कार्रवाई - वर्तमान मामले में मुद्दों पर अंतिमता की मुहर लगाएगा, न्यायालय को हमारे सामने उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर बड़ी पीठ के विचार का लाभ दिए बिना। **पुद्दास्वामी की शुद्धता (आधार-5 न्यायमूर्ति)** लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक को 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित करने से संबंधित और उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर **रोजर मैथ्यू** की एक समन्वित संविधान पीठ द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है। एक अन्य संविधान पीठ द्वारा निर्णय की शुद्धता पर व्यक्त किए गए संदेह के साथ, जो इन समीक्षा याचिकाओं का विषय है, इस स्तर पर यह मानना एक संवैधानिक त्रुटि है कि निर्णय की समीक्षा करने के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है। वृहद पीठ के निर्णय का **पुद्दास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति)** में व्यक्त किए गए कारणों की वैधता पर निर्विवाद प्रभाव पड़ेगा।) लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन से संबंधित और उत्पन्न होने वाले संवैधानिक मुद्दों पर। आधार अधिनियम के अनुच्छेद 110 (1) के तहत 'धन विधेयक' होने के संबंध में वृहद पीठ के फैसले को फिर से प्रासंगिक बनाने में विफलता इसे केवल एक अकादमिक अभ्यास बना देगी।

12. ऐसी स्थिति के साथ अंतर करना महत्वपूर्ण है जहां एक निर्णय अंतिमता प्राप्त करता है और इसके द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण को बाद में एक बड़ी पीठ द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। वर्तमान मामले में, उपरोक्त सभी समीक्षा याचिकाएं **रोजर मैथ्यू** मामले में 13 नवंबर 2019 को दिए गए फैसले से पहले दायर की गई थीं। समीक्षा याचिकाएं उस तारीख को लंबित थीं जब **रोजर मैथ्यू** की एक बड़ी पीठ को एक संदर्भ दिया गया था। इन पुनर्विचार याचिकाओं को पहले 25 अगस्त 2020 को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और इनका निपटारा नहीं किया गया था। इसलिए, ये पुनर्विचार याचिकाएं अब तक लंबित हैं, और विशेष रूप से ऊपर बताया गए प्रतिकूल परिणामों के आलोक में, बड़ी पीठ के निर्णय तक उन्हें खारिज नहीं करने का एक मजबूत कारण है।

13. **कंटारू राजीवरु में (धर्म का अधिकार, री-9 न्यायमूर्ति में) (2) बनाम भारतीय युवा अधिवक्ता एसोसिएशन.**⁶, इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ को यह निर्धारित करना था कि क्या किसी लंबित पुनरीक्षण याचिका में किसी बड़ी पीठ को निर्देश दिया जा सकता है। इसका सकारात्मक उत्तर देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उसे प्रश्न को बड़ी पीठ को भेजने से पहले पुनर्विचार याचिकाओं को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि इस तरह का सवाल कानून का भी सवाल हो सकता है। अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की इस न्यायालय की शक्ति की व्याख्या करते हुए, मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने पीठ की ओर से बोलते हुए इस प्रकार निर्णय दिया:

“29. एल. वी. ऑर्डर करें नियम 6 यह स्पष्ट करता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक आदेश देने की इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति नियमों द्वारा सीमित नहीं होगी। एस. नागराज बनाम कर्नाटक राज्य, 1993 सप्लीमेंट (4) एस.सी.सी. 595:1994 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 320] में यह पाया गया कि जब उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था और कोई नियम नहीं बनाए गए थे जो उन परिस्थितियों का संकेत देते थे जिनमें वह अपने आदेशों को सुधार सकता था, तब भी न्यायालयों ने प्रक्रिया के दुरुपयोग या न्याय की विफलता से बचने के लिए ऐसी शक्ति को समाप्त कर दिया। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यह न्यायालय अपने स्वयं के आदेश को वापस लेने या समीक्षा करने से वंचित नहीं है यदि वह संतुष्ट है कि न्याय के लिए ऐसा करना आवश्यक है। उपरोक्त का तार्किक विस्तार यह है कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तत्काल समीक्षा कार्यवाही सहित इस न्यायालय के समक्ष किसी भी लंबित कार्यवाही में कानून के प्रश्नों का संदर्भ दिया जा सकता है।

14. यदि इन पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया जाना है और **रोजर मैथ्यू** में बड़ी पीठ के संदर्भ को **पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति)** में बहुमत की राय के विश्लेषण से असहमत होना था।) इसके गंभीर परिणाम होंगे - न केवल न्यायिक अनुशासन के लिए, बल्कि न्याय के उद्देश्यों के लिए भी। इस प्रकार, समीक्षा याचिकाओं के वर्तमान बैच को तब तक लंबित रखा जाना चाहिए जब तक कि **रोजर मैथ्यू** में संदर्भित प्रश्नों का फैसला बड़ी पीठ नहीं कर लेती। पूरी विनम्रता के साथ, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि स्थिरता के संवैधानिक सिद्धांतों और कानून के शासन के लिए यह आवश्यक होगा कि समीक्षा याचिकाओं पर निर्णय बड़ी पीठ के संदर्भ का इंतजार करे।

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

एड. नोट: माननीय श्री ए.एम. खानविलकर, एच.एम. न्यायमूर्ति. अशोक भूषण, एच.एम. न्यायमूर्ति. अब्दुल नजीर, एच.एम.न्यायमूर्ति. बी.आर. गवई द्वारा पारित आदेश।

1. (2019) 1 एससीसी 1
2. 'हाउस ऑफ पीपल' को 'लोकसभा' के रूप में संदर्भित किया जाता है।
3. अनुच्छेद 455-464 पर आईडी
4. (2020) 6 एससीसी 1
5. अनुच्छेद 223.1 पर टिप्पणी 3 पर पूर्वोक्त।
6. (2020) 9 एससीसी 121

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।